डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय
पूसा (समस्तीपुर) – 848 125, बिहार

का0आ0सं0– 02 स्था019/20 ....16........../ रा.प्र.के.कृ.वि., पूसा दिनांक..11.04..../2021

कार्यालय आदेश

पूर्व में जिला प्रशासन, समस्तीपुर द्वारा डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय कैम्पस, पूसा को कंटेनमेंट क्षेत्र धोषित किए जाने, दिनांक– 10.04.2021 को जिला प्रशासन द्वारा पूसा कैम्पस में रहने वाले 10 (दस) कर्मियों एवं विद्यार्थियों का आर0टीपी0सी0आर0 प्रतिवेदन पोजिटिव आने के उपरांत वर्तमान में प्रभावी कोरोना वायरस एवं बिहार सरकार के द्वारा पारित आदेश जी. आपदा 06–02/2020–2623, पटना दिनांक 09 अप्रैल, 2021 के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश पारित किए जाते हैं :–

1. चूँकि डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एवं इसके अधीनस्थ इकाई ति0 कृ0 महा0, ढोली कोरोना से प्रभावित क्षेत्र हो गया है अतएव सभी नियंत्री पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है तब तक अपने अधीनस्थ शिक्षक/वैज्ञानिक/पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों का भ्रमण कार्यक्रम अनुमोदित न किया जाय साथ ही किसी परिस्थिति में भ्रमण कार्यक्रम प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनार्थ न भेजा जाय।

2. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा एवं इसके अधीनस्थ इकाई ति0 कृ0 महा0, ढोली में कार्यरत सभी कर्मी को सूचित किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में परिसर से बाहर न जाय। जो कर्मी कोरोना प्रभावित क्षेत्र से बाहर (स्थानीय शहर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि) गए हैं उन्हें एक सप्ताह का अवकाश लेकर होम कोरोनटाइन में रहना होगा। इस कोरोनटाइन अवधि के अवकाश का समायोजन उनके अर्जित अवकाश से किया जाएगा। उनके नियंत्री पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कर्मी को चिन्हित कर कोरोटाइन वास सुनिश्चित किया जाय एवं उनसे निगेटिव जॉच प्राप्त कर योगदान प्रतिवेदन लिया जाय। ऐसे कर्मियों की सूची अधोहस्ताक्षरी दी जाय।

3. वैसे शिक्षक, वैज्ञानिक, पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर नियमित (Regular) कर्मी जो प्रतिदिन स्थानीय शहर (समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना आदि) एवं सुदुर गॉव से कार्यालय आते हैं उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह तक के उपार्जित अवकाश पर प्रस्थान करें।

4. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि पिश्वविद्यालय, पूसा एवं इसके अधीनस्थ इकाई ति0 कृ0 महा0, ढोली में वैसे शिक्षक, वैज्ञानिक, पदाधिकारी एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जिनका आर0टी0पी0सी0आर0/एंटीजेन पूर्व में पोजोटिव जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था अब अगर 72 घंटे के भीतर उनका आर0टी0पी0सी0आर0 प्रतिवेदन निगेटिव पाया जाता है तो वैसे कर्मी परीक्षण के 14 दिन बाद ही उक्त प्रतिवेदन के साथ अपना योगदान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं। यह तारीख 19.04.2021 से पहले नहीं होगी।

5. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि पिश्वविद्यालय, पूसा के अधीनस्थ स्थित कुलसचिव कार्यालय, नियंत्रक कार्यालय, उप कुलसचिव, स्थापना कार्यालय एवं तिरहुत कृषि महाविद्यालय, ढोली में कार्यरत प्रशाखा पदाधिकारी से कनीय अधिकारी/कर्मचारी के कुल बल का 50 प्रतिशत उपस्थिति सुंनिश्चित की जाय। यह 50 प्रतिशत उपस्थिति एक दिन के अंतराल पर सुनिश्चित की जाय। इसकी सूची तैयार अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय। अन्य कार्यालय में पूर्व की भॉति सामान्य कार्य दिवस एवं पूर्ण उपस्थिति के साथ संचालित होगी।

6. डा0 राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि पिश्वविद्यालय, पूसा एवं इसके अधीनस्थ इकाई ति0 कृ0 महा0, ढोली में नियोजित आकस्मिक श्रमिक, संविदाकर्मी, सुरक्षाकर्मी को निर्देश दिया जाता है कि जिनका प्रतिवदेन कोरोना पोजिटिव प्राप्त हुआ है वे प्रतिवेदन के तिथि से ही 14 दिनों तक के लिए पारिश्रमिकी रहित होम कोरोटाइन में रहेगें। उसके बाद निगेटिव प्रतिवेदन प्राप्त होने के साथ ही वे पुनः कार्य पर वापस आ सकेगें। उनके कोरोटाइन अवधि के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान का प्रावधान किया जाएगा जो 14 दिनों के कोरोटाइन अवधि के विरूद्ध होगा।

नोटः–कुछ विश्वविद्यालय कर्मियों को उपरोक्त आदेश असुविधाजनक लग सकते हैं किन्तु Containment Zone खत्म् करने एवं कोरोना के जंजीर को तोड़ने के लिए अवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिए गए हैं। सबसे अनुरोध है कि सहयोग करें।

यह आदेश सक्षम प्राधिकार द्वारा आदेशित है।

रमेश 11/4/2021

उप कुलसचिव (स्था0)

11/04/21

प्रतिलिपिः– सभी अधिष्ठाता एवं निदेशक/कुलसचिव/नियंत्रक/सभी नियंत्री पदाधिकारी एवं प्रभारी एरिस सेल को विश्वविद्यालय वेवसाइट पर अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्बन–प्रति– कुलपति के सचिव को माननीय कुलपति महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।